PROGRAMME OF CULTURAL EXCHANGE BETWEEN THE MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF CROATIA FOR THE YEARS 2005-2007

In accordance with Article 11 of the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Croatia on co-operation in the fields of Culture, Education, Science, Technology and Sports, signed in New Delhi on 5th March, 1999, the Ministry of Culture of the Republic of India and the Ministry of Culture of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as the "Parties") have agreed on the following programme of Cultural Exchange for the years 2005-2007.

I. ART AND CULTURE

Article 1

The Parties shall encourage direct co-operation between institutions and professional organizations and associations in the fields of culture and art.

The Parties shall support all forms of cultural co-operation that are of mutual interest and that contribute to the affirmation of the cultures of the two countries.

Article 2

The Parties shall support the exchange of experts from the fields of music, performing and visual arts, archaeology, protection and preservation of cultural heritage, literature, archives, libraries and museums.

During the validity of the Programme the Parties shall exchange up to five experts annually for the purpose of negotiating programmes of co-operation or exchange of exhibitions, as well as the organization of seminars/workshops. The duration of each visit shall not exceed ten days.

Article 3

The Parties shall support the exchange of experts/conservators with a view to studying conservation techniques related to museum materials. The duration of each visit shall be mutually agreed upon by the concerned institutions through diplomatic channels.

Article 4

The Parties shall support direct co-operation between galleries and museums and support the organization of art exhibitions. During the validity of the Programme the Parties shall exchange the following exhibitions:

Exhibition of Indian miniature painting in Zagreb;

Exhibition of contemporary Croatian painting in New Delhi.

Article 5

The Parties shall encourage the mutual participation at music, dance and theatre festivals, international art exhibitions, international meetings and competitions as well as other non-commercial events organized in the two countries.

All details pertaining to the exchanges shall be directly agreed upon by the organizers and invited ensembles and artists.

Article 6

The Parties shall encourage the direct co-operation between music, performing arts and concert institutions, including the exchange of guest performances of groups and artists;

During the validity of the Programme the Parties shall support the following guest performances:

- Indian classical dance group (7-8 members) for a tour of 8-10 days in Croatia;
- Croatian dance group for a tour of 8-10 days in India;
- Indian folk group for a tour of 8-10 days in Croatia;
- Croatian musical ensemble for a tour of 8-10 days in India.

All relevant details pertaining to these guest tours will be agreed upon through diplomatic channels.

Article 7

The Parties shall encourage the exchange of publications and documentation of mutual interest within the co-operation between national libraries.

Article 8

The Parties shall support the participation at film festivals organized in the other country.

Article 9

The Parties shall support the organization of a Week of Croatian films in India and a Week of Indian films in Croatia on a reciprocal basis for a duration of 5-7 days, including the visit of a two-member delegation.

III. MISCELLANEOUS

Article 10

General and financial provisions are contained in the Annex which constitutes an integral part of this Programme.

Article 11

The Programme shall come into force on the day of its signature and shall remain in force until 31st December, 2007.

Done and signed at New Delhi on the 27th April, 2005 in two original copies, each in the Hindi, Croatian and English languages, wherein all three texts are equally authentic. In case of differences in interpretation the English version shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC

WRanjan

OF INDIA

FOR THE MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC

OF CROATIA

Rebeliel

GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS

I GENERAL PROVISIONS

- The two sides shall not exclude the possibilities for the realization of other projects in the above mentioned fields under mutually acceptable conditions.
- The Sending Party shall provide the Receiving Party all the necessary information referring to exhibitions at least three months before the agreed upon date of the opening of the exhibition.

Exhibits shall be delivered to the place of showing the exhibition two (2) weeks before such a date.

II. FINANCIAL PROVISIONS

The two Parties have agreed on the following financial terms for exchanges to be carried out under this Programme.

Exchange of individuals

- The Sending Party shall bear the cost of traveling fare to the Receiving country capital, and back.
- In case of emergency, i.e., in case of an acute illness, medical assistance free of charge will be provided by the Receiving Party for persons arriving under the provisions of this Programme, with the exception of medical assistance for chronic diseases, major operations that are not urgent, dental prosthetics and long-term hospital treatment.

Short-term visits (up to 30 days)

- The sending Party shall bear the cost of travelling fare to the Receiving country capital and back.
- The Receiving Party shall bear the travelling expenses within its respective territory resulting from the agreed upon programme of visit.
- 5. The Receiving Party shall provide:
- 5.1 In Croatia:
- (i) Free of charge accommodation,
- (ii) Free of charge board and 34 Kunas daily as pocket allowance per person, or

Daily allowance of 170 Kunas, when free boarding is not provided,

- (iii) Free of charge local transportation.
- 5.2 In India:
- (i) Free of charge accommodation,
- (ii) Full board for the visitors will be arranged by the Indian side, subject to the following limits:-
- (a) Rs. 1000 per day per person, if breakfast is included in lodging charges; or
- (b)Rs.1100 per day per person, where the lodging charges do not include breakfast.
- (iii) Pocket allowance of Rs.250 daily per person; and
- (iv) Free local transportation. In case local transportation is not provided, an allowance of Rs.500/- per day shall be paid in lieu thereof.

Shows, performances

Unless otherwise agreed upon by the institutions concerned, i.e. artistic agencies, costs shall be borne as follows:

- The sending party shall bear the cost of transportation (both ways) of stage equipment, instruments, films, etc.
- The receiving Party shall bear the cost of the organization of shows and performances, including the costs of internal transportation of stage equipment.
- Traveling and stay expenses of the artists' shall be borne on the same lines as those for exchange of individuals (Financial Provisions – Exchanges of Individuals).

Exchanges of exhibitions

Unless otherwise agreed upon between the institutions concerned, the costs of the exchange of exhibitions shall be borne as follows:

- The sending Party shall bear the costs of transportation of the exhibition to the first place of the exhibition in the Receiving country and on the way back.
- The Receiving Party shall bear the costs of the organization of the exhibition, its security and publicity (advertising, printing the catalogue, posters etc.)
- The Sending Party shall bear all the insurance expenses of the exhibition while it is outside its national territory.

- 4. In case of loss of or damage to the exhibits, the Receiving Party shall supply the Sending Party with complete documentation referring to the case in order to facilitate the Sending Party claim of damages from the insurance company.
- The damaged exhibits should not be repaired without prior approval of the Sending Party.
- The exhibition can be accompanied by one expert/curator. The cost of the curator's travelling and stay shall be covered on the same lines as those for exchange of individuals (Financial Provisions – Exchanges of individuals).

Exchanges of magazines and publications.

All the costs of the exchange of publications, magazines and other material as envisaged in this Programme shall be borne by the sending institutions.

भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय और क्रोएशिया गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2007 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार और कोएशिया गणराज्य की सरकार के बीच संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल के क्षेत्रों में सहयोग के संबंध में 5 मार्च 1999 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए करार के अनुच्छेद 11 के अनुसरण में, भारत गणराज्य का संस्कृति मंत्रालय और कोएशिया गणराज्य का संस्कृति मंत्रालय (जिन्हें आगे ''पक्ष'' कहा गया है) वर्ष 2005-2007 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान के निम्नलिखित कार्यक्रम पर सहमत हैं।

I. कला और संस्कृति

अनुच्छेद 1

दोनों पक्ष संस्कृति और कला के क्षेत्रों में संस्थाओं और व्यावसायिक संगठनों और संघों के बीच सीधे सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे।

दोनों पक्ष सभी प्रकार के ऐसे सांस्कृतिक सहयोग को सहायता देंगे, जो परस्पर हित में हैं तथा जो दोनों देशों की संस्कृतियों के समर्थन में योगदान देते हैं।

अनुच्छेद 2

दोनों पक्ष संगीत, प्रदर्शनकारी और दृश्य कलाओं, पुरातत्व, सांस्कृतिक विरासत के बचाव और परिरक्षण, साहित्य, अभिलेखागार, पुस्तकालयों और संग्रहालयों के क्षेत्रों के विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को सहायता प्रदान करेंगे। दोनों पक्ष कार्यक्रम की वैधता के दौरान सहयोग के कार्यक्रमों अथवा प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान पर विचार-विमर्श करने तथा संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन करने के प्रयोजन से पाँच विशेषज्ञों का आदान-प्रदान वार्षिक रूप से करेंगे। प्रत्येक दौरे की अविध दस दिनों से अधिक नहीं होगी।

अनुच्छेद ३

दोनों पक्ष, संग्रहालय सामग्रियों से संबंधित संरक्षण तकनीकों का अध्ययन करने के विचार से विशेषज्ञों/संरक्षकों के आदान-प्रदान को सहयोग करेंगे। प्रत्येक यात्रा की अवधि संबंधित संस्थाओं द्वारा राजनियक चैनलों के माध्यम से परस्पर सहमित से निर्धारित की जाएगी।

अनुच्छेद ४

दोनों पक्ष वीथियों और संग्रहालयों के बीच सीधे सहयोग को बढ़ावा देंगे और कला प्रदर्शनियों के आयोजन को सहायता प्रदान करेंगे। कार्यक्रम की वैधता के दौरान दोनों पक्ष निम्नलिखित प्रदर्शनियों का आदान – प्रदान करेंगे:-

- जगरेब में भारतीय लघु-चित्रों की प्रदर्शनी
- नई दिल्ली में समकालीन कोएशियाई चित्रों की प्रदर्शनी

अनुच्छेद 5

दोनों पक्ष संगीत, नृत्य और रंगमंच उत्सवों, अन्तर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों, अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों और प्रतियोगिताओं तथा दोनों देशों में आयोजित किए गए अन्य गैर-वाणिज्यिक समारोहों में परस्पर सहभागिता को बढ़ावा देंगे।

आदान-प्रदानों से संबंधित सभी ब्यौरों पर आयोजकों और आमंत्रित मंडलियों और कलाकारों द्वारा सीधे सहमति की जाएगी।

अनुच्छेद ६

दोनों पक्ष, समूहों और कलाकारों के अतिथि-प्रदर्शनों के आदान-प्रदान सहित संगीत, प्रदर्शन कलाओं और संगीत - समारोह संस्थाओं के मध्य सीधे सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे;

कार्यक्रम की वैधता के दौरान दोनों पक्ष निम्नलिखित अतिथि प्रदर्शनों को प्रोत्साहित करेंगे :

- कोएशिया में भारतीय शास्त्रीय नृत्य समूह (7-8 सदस्यीय) को 8-10 दिनों के
 दौरे के लिए;
- कोएशियाई नृत्य समूह को भारत में 8-10 दिनों के दौरे के लिए;
- भारतीय लोक समूह को कोएशिया में 8-10 दिनों के दौरे के लिए;
- कोएशियाई संगीत मंडलियों को भारत में 8-10 दिनों के दौरे के लिए;

इन अतिथि दौरों से संबंधित सभी संगत ब्यौरों पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से सहमति की जाएगी।

अनुच्छेद 7

दोनों पक्ष प्रकाशनों के आदान-प्रदान और राष्ट्रीय पुस्तकालयों के बीच सहयोग के तहत् परस्पर रुचि के प्रलेखन को प्रोत्साहित करेंगे।

II फिल्म

अनुच्छेद ८

दोनों पक्ष एक दूसरे के देश में आयोजित फिल्म समारोहों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 9

दोनों पक्ष द्विसदस्यीय शिष्टमंडल के दौरे सिहत, 5-7 दिनों की अवधि के लिए परस्पर आधार पर भारत में कोएशियाई फिल्म-सप्ताह और कोएशिया में भारतीय फिल्म-सप्ताह के आयोजन को सहायता देंगे।

III. विविध

अनुच्छेद १०

सामान्य और वित्तीय प्रावधान अनुबंध में विहित हैं जो इस कार्यक्रम के अनिवार्य अंग हैं।

अनुच्छेद ११

यह कार्यक्रम इस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से लागू होगा और 31 दिसंबर, 2007 तक लागू रहेगा।

इस कार्यक्रम पर 27 अप्रैल, 2005 को नई दिल्ली में हिंदी, कोएशियाई और अंग्रेजी भाषा में दो-दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए, इसके सभी तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

नीय रंजन

भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय की ओर से

कोएशिया मणराज्य के संस्कृति मंत्रालय की ओर से

सामान्य और वित्तीय प्रावधान

I. सामान्य प्रावधान

- दोनों पक्ष परस्पर सहमत शर्तों के तहत् ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन की संभावनाओं को वर्जित नहीं करते।
- प्रेषक पक्ष प्रदर्शनी के आरंभ होने की सहमत तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व प्रदर्शनियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी मेज़बान पक्ष को उपलब्ध कराएगा।

ऐसी तारीख से दो (2) सप्ताह पूर्व प्रदर्शों को प्रदर्शनी लगाए जाने के स्थान पर पहुँचाया जाएगा।

II. वित्तीय प्रावधान

दोनों पक्ष इस कार्यकम के अंतर्गत किए जाने वाले आदान-प्रदानों हेतु निम्नलिखित वित्तीय शर्तों पर सहमत हो गए हैं :

व्यक्तियों का आदान-प्रदान

- प्रेषक पक्ष, मेजबान देश की राजधानी तक जाने और वापस आने की यात्रा के किराए की लागत वहन करेगा।
- आपातकालीन रियति, अर्थात गंभीर बीमारी के मामले में मेज़बान पक्ष द्वारा इस कार्यक्रम के प्रावधानों के तहत्, बाहर से आने वाले व्यक्तियों को, लंबी बीमारियों, ऐसे बड़े ऑपरेशनों, जिन्हें तत्काल किया जाना आवश्यक न हो, दाँत

लगाने तथा लंबे समय तक चलने वाले अस्पताल उपचार के लिए चिकित्सा सहायता को छोड़कर, निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी।

कम-अवधि के दौरे (30 दिनों तक)

- प्रेषक पक्ष मेजबान देश की राजधानी तक जाने और वापस आने की यात्रा की लागत वहन करेगा।
- मेजबान पक्ष दौरे के सहमत कार्यक्रम के परिणामस्वरूप इसके संबंधित क्षेत्र के भीतर की गई यात्रा के व्यय का वहन करेगा।
- मेजबान पक्ष निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा :
- 5.1 कोएशिया में :
 - (i) निःशुल्क आवास,
 - (ii) निःशुल्क खान-पान और प्रति व्यक्ति 34 कुनास प्रतिदिन का जेब-खर्च भत्ता;

अथवा

170 कुनास का दैनिक भत्ता, जब निःशुल्क खान-पान प्रदान नहीं किया गया हो;

- (iii) निःशुल्क स्थानीय परिवहन।
- 5.2 भारत में :
 - (i) निःशुल्क आवास,
 - (ii) आगंतुकों के लिए भारतीय पक्ष द्वारा निम्नलिखित सीमाओं के अंतर्गत खान-पान की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी।
 - (क) 1000 रू. प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति, यदि आवास-प्रभारों में नाश्ता शामिल है;
 - (ख) ११०० रू. प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति, जहाँ आवास-प्रभार में नाश्ता शामिल नहीं है।

- (iii) 250 रू. प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति, जेवखर्च भत्ता, और
- (iv) निःशुल्क स्थानीय परिवहन। यदि स्थानीय परिवहन प्रदान नहीं किया जाता है तो उसके स्थान पर 500 रू. का परिवहन भत्ता दिया जाएगा।

शो, प्रदर्शन

जब तक संबंधित संस्थाओं अर्थात् कलात्मक एजेंसियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, लागत निम्नांकित रूप में वहन की जाएंगी :-

- प्रेषक पक्ष, मंच उपस्करों, उपकरणों, फिल्मों आदि की परिवहन लागत (दोनों तरफ)
 वहन करेगा।
- 2. मेजबान पक्ष, मंच उपस्करों के आंतरिक परिवहन की लागत सहित शो और प्रदर्शनों के आयोजन की लागत वहन करेगा।
- कलाकारों की यात्रा और ठहरने का व्यय उन्हीं शर्तों पर वहन किया जाएगा, जो व्यक्तियों के आदान-प्रदान पर लागू होती हैं। (वित्तीय प्रावधान – व्यक्तियों के आदान-प्रदान)

प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान

जब तक संबंधित संस्थाओं के बीच अन्यथा सहमति न हो, प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान की लागत निम्नांकित रूप में वहन की जाएगी :-

- प्रेषक पक्ष, मेजबान देश में प्रदर्शनी के पहले स्थान पर प्रदर्शों के परिवहन तथा
 प्रदर्शनी के वापसी परिवहन की लागत वहन करेगा।
- मेंजबान पक्ष, प्रदर्शनी के आयोजन, इसकी सुरक्षा तथा प्रचार-प्रसार (विज्ञापन तालिका, पोस्टरों आदि के मुद्रण) की लागत वहन करेगा।
- प्रेषक पक्ष, प्रदर्शनी का सम्पूर्ण बीमा व्यय वहन करेगा, जब यह प्रदर्शनी अपने राष्ट्रीय परिक्षेत्र के बाहर हो।

- 4. प्रदर्शों के खोने अथवा क्षितग्रस्त होने के मामले में, मेजबान पक्ष, बीमा कंपनी से क्षितपूर्ति का दावा करने के लिए प्रेषक पक्ष को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।
- प्रेषक पक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना क्षितग्रस्त प्रदर्शों की मरम्मत नहीं की जाएगी।
- 6. प्रदर्शनी के साथ एक विशेषज्ञ/संग्रहाध्यक्ष भेजा जा सकता है। संग्रहाध्यक्ष की यात्रा और दहरने का व्यय उन्हीं शर्तों पर वहन किया जाएगा जो व्यक्तियों के आदान-प्रदान (वित्तीय प्रावधान-व्यक्तियों का आदान-प्रदान) के लिए लागू होती हैं।

पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान

प्रकाशनों, पत्रिकाओं और अन्य सामग्रियों, जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है, के आदान-प्रदान के सभी व्यय प्रेषक संस्थानों द्वारा वहन किए जाएंगे।